कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांकः 2353 / प्रशा0 2(क) 22 / 25 / 2019–20 दिनांकः / / 2020

01. समस्त सहायक अभियन्ता (मुख्यालय, शाखा रूडकी एंव लक्सर)
02. समस्त अवर अभियन्ता / समस्त सहायक
03. आई0टी0अनुभाग
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0. उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 10303 / प्र0नि0 / उपाकालि / C-10 दिनांक 25.09.2019 जोकि विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी विनियम (किसी भी प्रकार का आवासीय / गैर आवासीय भवन निर्माण का कार्य एच0टी0 / एल0टी0 लाईनों के नीचे अथवा लाईन के समीप न किया जाय तथा सभी आवासीय / गैर आवासीय भवनों के लेआउट अथवा नक्शा स्वीकृति से पूर्व यू0पी0सी0एल0 से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्राप्त की जाय) के अनुपालन के सम्बन्ध में है, की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिशिचित किया जाय।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

सचिव
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपिः

01. उपाध्यक्ष महोदय, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0 को सूचनार्थ।
03. समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारियों को अनुपालनार्थ।
04. प्रशासनिक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. गार्ड फाईल।

सचिव

2048
30-12-19

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: md@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक: 10303 /प्र0नि0/उपाकालि/ C-10 दिनांक: 25/09/2019

जिलाधिकारी

.....।

विषयः विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी विनियम के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया निदेशक (परिचालन) उपाकालि के पत्र संख्या 1411 / नि0(परिचालन) / उपाकालि / सी–10 दिनांक 05 मार्च, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विद्युत सुरक्षा के दृष्टिगत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार के "सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धित उपाय विनियम, 2010" एवं संशोधित विनियम, 2015 में उल्लिखित विनियमों के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गया था–

1. विद्युत लाईनों चाहे उस पर इंसुलेटेड पदार्थ लगाया हो या नहीं या भूमिगत केबल हो के परिनिर्माण के पश्चात् किसी भी समय यदि कोई व्यक्ति नये भवन या संरचना या फ्लड बैंक को ऊंचा करना चाहें, सडक तल ऊंचा करने का या स्थाई अथवा अस्थाई किसी अन्य प्रकार का कार्य करने के लिये या अन्दर अथवा ऊपर कोई भवन या संरचना या फ्लड बैंक या सडक में कोई स्थाई अथवा अस्थाई संवर्धन या बदलाव को प्रस्तावित करता है, तो वह तथा ठेकेदार जिसे उस उत्थापन, संवर्धन या बदलाव के लिये नियुक्त किया है, अपने ऐसा करने के इरादों की लिखित जानकारी आपूर्तिकर्ता (यू0पी0सी0एल0) और विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन को लिखित रूप में देगा और साथ ही प्रस्तावित भवन, संरचना, बाढ़ किनारों, सड़क या अन्य संवर्धन या बदलाव और निर्माण के दौरान आवश्यक ढ़ांचे को दर्शाता हुआ माप रेखाचित्र उपलब्ध करायेगा।
2. पूर्व निर्मित लाईनों के नीचे भवन या अन्य कोई भी निर्माण कार्य करना निषिद्ध है।
3. विद्युत विनियम में परिनिर्मित लाईनों की जमीन से ऊंचाई, इमारत से लम्बवत न सामान्तर दूरी हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित हैं–

भवन के निकटतम् बिन्दु से क्षितिज के सामान्तर (Horizontal) दूरी		
1.	एल0टी0 लाईन व एच0टी0 लाईन 11 के0वी0 तक	1.20 मीटर
2.	33 के0वी0 लाईन	2 मीटर
भवन के निकटतम् बिन्दु से लम्बवत (Vertical) दूरी		
1.	एल0टी0 लाईन व एच0टी0 लाईन 11 के0वी0 तक	2.50 मीटर
2.	33 के0वी0 लाईन	3.70 मीटर
ओवरहेड लाईनों के सबसे निचले सुचालक की जमीन से न्यूनतम ऊंचाई		
(क) सड़क के आर–पार		
1.	एल0टी0 लाईन	5.8 मीटर
2.	11 के0वी0 व 33 के0वी0 एच0टी0 लाईन	6.1 मीटर
(ख) सड़क किनारे / सड़क के साथ–साथ		
1.	एल0टी0 लाईन	5.5 मीटर
2.	11 के0वी0 व 33 के0वी0 एच0टी0 लाईन	5.8 मीटर
(ग) सड़क के अतिरिक्त		
1.	एल0टी0 एवं 11 के0वी0 लाईन (जो इंसुलेटेड नहीं है)	4.6 मीटर
2.	एल0टी0 एवं 11 के0वी0 लाईन (जो इंसुलेटेड है)	4.0 मीटर
3.	33 के0वी0 लाईन	5.2 मीटर

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 91–135–2768895 फैक्स: 91–135–2768867
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2768895 Fax: 91-135 -2768867

4. उपरोक्त बिन्दु सं0 1 में उल्लिखित किसी प्रकार के कार्यो को करने से पूर्व यू0पी0सी0एल0 से अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।
5. यह भी प्राविधानित किया गया है कि प्रस्तावित कार्यो को किये जाने से यदि उपरोक्त मानको को सुनिश्चित करने के लिये परिनिर्मित लाईनों में फेर बदल की आवश्यकता होती है एवं वह तकनीकी रूप से शाक्य हो तभी उक्त कार्य हेतु अनापत्ति प्रदान की जायेगी एवं परिनिर्मित लाईनों में फेर बदल हेतु प्राक्कलित धनराशि को सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा वहन करनी होगी ।

अतः सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुए आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से सभी विभागों/कार्यालयों (विकास प्राधिकरण, कैण्ट बोर्ड इत्यादि) को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार का आवासीय/गैर आवासीय भवन निर्माण का कार्य एच0टी0/एल0टी0 लाईनों के नीचे अथवा लाईन के समीप न किया जाये तथा सभी आवासीय/गैर आवासीय भवनों के **लेआउट अथवा नक्शा स्वीकृति से पूर्व यू0पी0सी0एल0 से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।** जिससे अनाधिकृत निर्माण के कारण होने वाली अप्रिय विद्युत दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः /प्र0नि0/उपाकालि/ **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा) उत्तराखण्ड को सचिव (ऊर्जा) महोदया के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. सचिव, विकास प्राधिकरण .....।
3. निदेशक (परिचालन/परियोजना), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैण्ट बोर्ड .....।

(बी0सी0के0 मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक